27/2/20 पत्रावली पेश। वकील वादीगण उपस्थित
हैं। वकील वादीगण द्वारा लिखित बहस
प्रस्तुत की गई। विद्वान अधिवक्ता -
वादीगण को एकतरफा सुना गया।
दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी
द्वारा माननीय न्यायालयों के उद्धरण
प्रस्तुत किये।

27/2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
	दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सम्यक विचार किया बाद बहस पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, प्रतिवादीगण के जवाब, वांछित अनुतोष, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात आदि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। R.R.D. 2012 का सम्मान सहित अवलोकन किया तथा उक्त का प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पानगी बाबत विचार किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है। तनकी नं० 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा शपथपत्र निशा PW-1 व शपथ पत्र उषा PW2, तथा नकल जमाबंदी ग्राम खेड़ाबाद सं० 2059-62 खाता नं० 203 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी खेड़ाबाद संवत् सन 2004-24 खाता नं० 318 प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-2 प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही वादपत्र के साथ सत्यप्रति रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा धन्ना वल्द युवराजसिंह तादादी 300000 रजि० दि० 17.5.2006 उप पंजीयक रामगंजमण्डी एवं नकल खसरा गिरदावरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम खेराबाद सं. २०१४-१५ प्रस्तुत की गयी प्रदर्श-3 से प्रमाणित है, कि वादगत भूमि मौजा खैराबाद खसरा नम्बर २१४ रकबा ६)३ व ६७४ रकबा ६।।।)९ किता २ रकबा १२।।।)४ प्रतिवादी नं० १ के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी नं० २ को खसरा नं० २१४ रकबा ६)३ को बैनामा किया जा चुका है।	
	वादीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो, कि उक्त वादगत भूमि प्रतिवादी नं० १ को अपने पिता के जरिये विरासत प्राप्त हुई हो।	
	वादीगण का कथन है, कि प्रतिवादी नं० नं० १ उनका दादा है, इस कारण भूमि पैतृक है। क्योंकि प्रतिवादी नं० १ की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी नं० १ की मृत्यु के समीप समय में अवशेष सम्पत्ति वादीगण की पैतृक सम्पत्ति हो सकती है। किन्तु प्रतिवादी के जीवन काल में वादगत भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति रही हो, ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।	
	तनकी नम्बर २:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा	

27/2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रजिस्टर्ड बयनामे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। वादीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को प्रभावहीन घोषित कराने का अनुतोष इस न्यायालय से चाहा गया है। प्रथम तो धन्ना के जीवनकाल में विवादित भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति प्रमाणित नहीं थी, और वादी गण द्वारा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि विवादित भूमि खसरा नम्बर २१४ (रकबा 6)2 बिस्वा का जब धन्ना द्वारा बेचान किया उस समय उक्त भूमि में वादीगण का खातेदारी स्वत्व निहित थे, और धन्ना द्वारा वादीगण के स्वत्व के विपरीत जाकर अर्थात वादीगण के स्वत्व को तिरोहित करने के उद्देश्य से उक्त भूमि का बेचान कर दिया हो। वादीगण द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया है, कि मृतक धन्ना द्वारा अपने जीवनकाल में भाग खाते में नाम होने भाग से बिना स्वत्व के प्रति० नं० २ को भूमि का बेचान कर दिया है, इस कारण रजिस्टर्ड दस्तावेज वोइड है। प्रस्तुत प्रकरण में पेश किये गये रजिस्टर्ड बयनामे पर विचार करने के उपरान्त हम यह पाते हैं, कि हस्तगत प्रकरण में दस्तावेज न तो वाइड है, और न वोइडेबल जिसे इस न्यायालय द्वारा प्रभावशून्य घोषित किया जा सके। सामान्यतः ही राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज को प्रभावशून्य घोषित करने की अधिकारिता

हुक्म या कार्यवाही मय प्रतिहस्ताक्षर जज

नहीं है।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 3:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था/ जैसा कि ऊपर तनकियात में विवेचना किया जा चुका है, कि वादगत भूमि धन्ना के जीवनकाल में [illegible] इकि नहीं है। ख.नं. 204 (रकबा 5/3) का बयनामा इस न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ धन्ना की पुत्रियों के द्वारा अर्थात वादीगण के पिता की बहिनों गंगाबाई व जमनाबाई द्वारा ख.नं. 204 के ½ अपना हिस्सा दि. 21.7.2010 को अधिये रजि. सेल डीड बंशीलाल पुत्र स्यामचंद मेघवाल को बेचान करना जाहिर होता है। ऐसी सूरत में यथावांछित अवस्था में वादीगण को वांछित अनुतोष विधि के अनुसंगत आवधारो के मद्देनजर दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 4:- इस तनकी का भार वादीगण पर था। प्रदर्श-3 व रजिस्टर्ड बयनामे से प्रमाणित होता है, कि ख.नं. 204 को प्रतिवादी नं. 2 द्वारा अधिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया है, और कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी नं. 2

तारीख | हुक्म या कार्यवाही

उक्त भूमि का अभिलिखित खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण की अवस्था उक्त भूमि पर धारा 5 (43) या धारा 14 R.T. Act के अनुसार खातेदार आसामी की नहीं है। स्थाई व्यादेश मात्र खातेदार या आसामी को ही दिया जा सकता है। वादीगण धन्ना की मृत्यु उपरान्त मात्र ख० नं. 674 में अपने पिता के हिस्से तक हिस्सा प्राप्ती की ही हकदार है। जिसकी बजाय वादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर स्थाई व्यादेश चाहा है जो यथावांछित अवस्था में दिया जाना विधिसंगत नहीं है।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 5 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी नं. 1 पर था। दौराने सुनवाई प्रति० नं. 1 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये गये। उनके द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

परन्तु जैसा कि तनकी नं. 1 में निर्धारित किया गया है, कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति प्रमाणित नहीं है।

अतः अन्य तनकियात के विवेचनाधीन यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

तनकी नं. 6 :- इस तनकी का भार प्रति. नं. 1 पर था। साक्ष्याभाव में यह तनकी

27/2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खिलाफ प्रतिवादी नं. 1 तय की जाती है।	

तनकी नं. 7 :- इस तनकी का भार प्रति० नं० 2 पर था। प्रति० नं० 2 के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई परन्तु तनकी नं. 2 व 4 के विवेचनाधीन यह तनकी इसी प्रकार अंशतः बहक प्रतिवादी नं. 2 तय की जाती है।

तनकी नं. 8 :- तनकी नम्बर 1 से 7 के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करवाने के हकदार नहीं है। वादीगण को यथावांछित अवस्था में स्वत्व की घोषणा प्रसारित नहीं की जा सकती और न ही यथा वांछित अवस्था में कोई निषेधाज्ञा का आदेश ही दिया जा सकता है।

अतः गुणावगुण के आधार पर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 27-02-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुला न्यायालय में सुनाया गया।

27/2/20

(चिमनलाल मीणा)
R.A.S.

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [redacted]

(Civil Procedure Code: Appendix D-11)

उपखण्ड अधिकारी — रामगंजमण्डी

चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

संजना बाई — धन्ना

88 B9. 188 53 A.T. Act. 1955

89 — 2006

चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

— x

श्री जे.एल. सौनी

दावा वादीगण खारिज किया जाता है

— x

4 — x — 4 — खर्चा — x

— x — को अदा करें।

27 — माह — 02 — 2020

हस्ताक्षर — उपखण्ड अधिकारी

ओहदा — रामगंजमण्डी

27/2/20

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह		रुपया	पं.
			स्टाम्प वकालतनामा	..		
			स्टाम्प अर्जी	..		
			महन्ताना वकील पर	..		
			खर्चा गवाहान	..		
			फीस कमिश्नर	..		
			बाबत इजराय हुक्मनामा	..		
			मुतफर्रिक	..		
मीजान..	—	—	मीजान..		—	—

... खर्चे के कालम पर ... रुपया हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज ... चाहिये।

...-2004-1,00,000 ...

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

27/2/20